भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 751

04 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत ऋण-सम्बद्ध सहायता और वित्तीय सहायता

751. श्री चंदन चौहानः

श्री बी. वाई. राघवेन्द्रः

श्रीमती डी. के. अरुणाः

डॉ. हेमंत विष्णु सवराः

श्री नारायण तातू राणेः

श्री तेजस्वी सूर्याः

श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रहीः

श्री विनोद लखमशी चावड़ाः

श्री भरतसिहंजी शंकरजी डाभीः

श्री विजय बघेलः

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 के अंतर्गत देशभर में निम्न आय और आर्थिक रूप से कमजोर लाभार्थियों के लिए आवास वित्त तक पहुँच को सुगम बनाने में निम्न आय आवास के लिए ऋण जोखिम गारंटी निधि ट्रस्ट (सीआरजीएफटीएलआईएच) की भूमिका और इसके कार्यान्वयन का विशेषकर कर्नाटक और ओडिशा सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सीआरजीएफटीएलआईएच तंत्र के अंतर्गत वर्तमान में भाग ले रहे बैंकों, एनबीएफसी और आवास वित्त कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों की संख्या कितनी है और विगत तीन वर्षों के

दौरान देशभर में जारी की गई कुल प्रतिभूतियों मात्रा का विशेषकर कर्नाटक और ओडिशा सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और कितनी गारंटियां जारी की गई हैं;

(ग) सीआरजीएफटीएलआईएच के माध्यम से कर्नाटक में जिला-वार सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या, प्रदान की गई कुल ऋण राशि और पीएमएवाई-शहरी 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत, पूर्ण और अधिभोगित घरों की संख्या कितनी है;

(घ) सीएलएसएस/सीआरजीएफटीएलआईएच के अंतर्गत शिमोगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लाभार्थियों का जिलावार और शहरी स्थानीय निकायवार, श्रेणीवार (एससी/एसटी/ओबीसी/महिलाएं) ब्यौरा क्या है और कितना ऋण दिया गया है, कितने प्रस्ताव लंबित हैं और कार्यों की वर्तमान प्रगति क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा देशभर में पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत उपलब्ध ऋण-सम्बद्ध सहायता और राजसहायता सम्बंधी विकल्पों के बारे में पात्र निम्न आय वाले परिवारों, अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों, शहरी गरीबों और मलिन बस्तियों में रहने वाले लाभार्थियों के बीच पहुंच और जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेषकर कर्नाटक और ओडिशा सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या उपाय किए गए हैं; और

(च) क्या सरकार का शहरी गरीबों और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की अतिरिक्त श्रेणियों को शामिल करने के लिए पीएमएवाई-शहरी 2.0 के अंतर्गत ऋण सम्बद्ध सहायता संघटक का विस्तार करने का विचार है और यदि हां, तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से **(**च**)** निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि ट्रस्ट (सीआरजीएफटीएलआईएच) योजना का उद्देश्य प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय समूह (एलआईजी) श्रेणियों के पात्र लाभार्थियों को बैंकों/आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित सदस्य ऋण देने वाली संस्थाओं (एमएलआई)

द्वारा स्वीकृत और संवितरित 20 लाख रुपये तक के किफायती आवास ऋण की गारंटी देना है, जिससे इस श्रेणी के व्यक्तियों को ऋण देने में ऋण देने वाले संस्थाओं का विश्वास बढ़ेगा। इसका उद्देश्य एक ऐसा सहायक फ्रेमवर्क बनाकर पात्र उधारकर्ताओं, विशेष रूप से अनौपचारिक आय स्रोतों वाले लोगों के लिए आवास वित्त प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है, जो वित्तीय संस्थाओं को आत्मविश्वास से ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करता है।

दिनांक 31.10.2025 तक सीआरजीएफटीएलआईएच योजना के तहत बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)/एचएफसी सहित कुल 55 एमएलआई पंजीकृत किए गए हैं।

सीआरजीएफटीएलआईएच योजना 15.01.2025 को शुरू की गई थी और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान किसी भी ऋण की गारंटी नहीं दी गई थी। इसके अलावा, कर्नाटक और ओडिशा राज्यों सहित वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 31.10.2025 तक सीआरजीएफटीएलआईएच के तहत जारी गारंटी का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार (यूटी) विवरण अनुलग्नक I में है।

शिवमोगा जिले में सीआरजीएफटीएलआईएच योजना के तहत गारंटीकृत ऋणों का श्रेणी-वार वितरण (एससी/एसटी/ओबीसी/महिलाएं) अनुलग्नक II में दिया गया है

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) को कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ हर मौसम में रहने योग्य पक्के आवास प्रदान करना है। पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने योजना को नया रूप दिया है और अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की सहायता करने के लिए देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है।

पीएमएवाई-यू 2.0 का चार घटकों अर्थात् लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वय किया गया है। बीएलसी, एएचपी और एआरएच घटकों को राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, और आईएसएस घटक को आवास वित्त कंपनियों और प्राथमिक ऋण देने वाले संस्थाओं (पीएलआई) द्वारा राष्ट्रीय आवास

बैंक (एनएचबी), भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) जैसी निर्धारित केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, कर्नाटक और ओडिशा सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्न आय वाले परिवारों, अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों, शहरी गरीबों और स्लम में रहने वालों सहित पहचाने गए पात्र लाभार्थियों को अनुमोदन और दस्तावेज आदि प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उन्हें ऋण मेलों का आयोजन करके, प्राथमिक ऋण देने वाली संस्थाओं (पीएलआई) के साथ मिलकर मासिक समीक्षा करके योजना का लाभ उठाने में लाभार्थियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि पात्र लाभार्थियों द्वारा ब्याज सब्सिडी योजना का लाभ उठाया जा सके। लाभार्थियों के बीच योजना के बारे में जागरूकता फैलाने और लाभ प्रदान करने के लिए, पीएलआई ऋण और ब्याज सब्सिडी के सुचारू संवितरण के लिए अपनी संबंधित शाखाओं में संपर्क विवरण के साथ योजना का विवरण प्रदर्शित करते हैं। वित्तीय सेवा विभाग ने भारतीय बैंक संघों के सहयोग से एक विशेष गृह ऋण उत्पाद विकसित किया है, जिसका उद्देश्य पीएमएवाई-यू के तहत विशेष रूप से ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/एमआईजी लाभार्थियों के लिए समय पर और परेशानी मुक्त आवास ऋण की सुविधा प्रदान करना है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र लाभार्थी, बैंक और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से पीएमएवाई-यू के लाभार्थियों के लिए कम लागत वाले ऋण की सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं।

इसके अलावा, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कुल 17 लाभार्थियों को ब्याज सब्सिडी की पहली किस्त के रूप में 4.8 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। सीआरजीएफटीएलआईएच के माध्यम से सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या सहित जिला-वार विवरण, कर्नाटक में प्रदान की गई ऋण सुविधा की कुल राशि अनुलग्नक-III में है।

अब तक, कर्नाटक सरकार ने पीएमएवाई-यू 2.0 के बीएलसी, एएचपी और एआरएच घटकों के तहत किसी भी आवास का प्रस्ताव नहीं दिया है। जबकि सीएनए ने कर्नाटक में 516 लाभार्थियों को आईएसएस घटकों का लाभ दिया है, जिले-वार विवरण अनुलग्नक-IV में हैं।

****

दिनांक 04-12-2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 751 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-I

कर्नाटक और ओडिशा राज्यों सहित सीआरजीएफटीएलआईएच के अंतर्गत ऋण गारंटी के संबंध में राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार आंकडों

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गारंटीकृत ऋणों की संख्या	गारंटीकृत ऋण राशि (लाख रूपये में)
1.	आंध्र प्रदेश	84	906
2.	असम	1	8
3.	चंडीगढ़	35	351
4.	छतीसगढ	77	261
5.	दादरा और नगर हवेली एवं दमण और दीव	1	12
6.	दिल्ली	103	1,460
7.	गुजरात	723	7,419
8.	हरियाणा	69	829
9.	हिमाचल प्रदेश	1	10
10.	झारखंड	2	26
11.	कर्नाटक	217	907
12.	केरल	1	10
13.	मध्य प्रदेश	587	6,001
14.	महाराष्ट्र	1,080	14,863
15.	ओडिशा	15	28
16.	पंजाब	268	2,953
17.	राजस्थान	277	2,946
18.	तमिलनाडु	598	2,145
19.	तेलंगाना	68	828
20.	उत्तर प्रदेश	568	5,075
21.	उत्तराखंड	120	685
22.	पश्चिम बंगाल	132	1,602
कुल योग		5,027	49,324

दिनांक 04-12-2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 751 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-II

शिवमोगा जिले में सीआरजीएफटीएलआईएच योजना के तहत गारंटीकृत ऋणों का श्रेणी-वार वितरण (एससी/एसटी/ओबीसी/महिलाएं)

श्रेणी-वार वितरण	सीआरजीएफटीएलआईएच के तहत	
	गारंटीकृत ऋणों की संख्या	ऋण राशि गारंटीकृत (लाख रुपए में)
अनुसूचित जाति	शून्य	शून्य
अनुसूचित जनजाति	शून्य	शून्य
अन्य पिछड़ा वर्ग	1	4
औरत	5	22

दिनांक 04-12-2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 751 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-III

वित्त वर्ष 2025-26 (2024-25 के दौरान शून्य) के लिए जिले-वार विवरण, जिसमें सीआरजीएफटीएलआईएच के माध्यम से सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या, कर्नाटक में उपलब्ध कराई गई ऋण की कुल राशि शामिल है

क्र. सं.	ज़िला	सीएचजीएफटीएलआईएच	
		गारंटीकृत ऋणों की संख्या	ऋण राशि गारंटीकृत (लाख रुपए में)
1.	बागलकोट	1	15
2.	बल्लारी (बेल्लारी)	1	4
3.	बेलगावी (बेलगाम)	5	40
4.	बेंगलुरु ग्रामीण	1	12
5.	बेंगलुरु शहरी	39	314
6.	बीदर	1	16
7.	चित्रदुर्ग	2	31
8.	दक्षिण कन्नड़	1	14
9.	धारवाड़	2	17
10.	गडग	3	24
11.	हसन	124	148
12.	हावेरी	3	21
13.	मंड्या	1	5
14.	मैसूरु (मैसूर)	9	106
15.	रायचूर	1	8
16.	शिवमोग्गा (शिमोगा)	18	78
17.	तुमकुरु (तुमकुर)	4	40
18.	विजयनगर	1	15
कुल		217	907

दिनांक 04-12-2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 751 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक--IV

कर्नाटक में पीएमएवाई-शहरी 2.0 के तहत स्वीकृत, पूर्ण और सौंपे गए कुल आवासों का जिला-वार विवरण

क्र. सं.	ज़िला	पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत लाभार्थियों की संख्या
1.	बागलकोट	9
2.	बल्लारी (बेल्लारी)	11
3.	बेलगावी (बेलगाम)	29
4.	बेंगलुरु ग्रामीण	14
5.	बेंगलुरु शहरी	64
6.	बीदर	10
7.	चामराजनगर	14
8.	चिक्कबल्लपुर	2
9.	चिक्कामगलुरु	8
10.	चित्रदुर्ग	12
11.	दक्षिण कन्नड़	35
12.	दावनगेरे	42
13.	धारवाड़	29
14.	गडग	7
15.	हसन	10
16.	हावेरी	18
17.	कलबुर्गी	21
18.	कोडागू	0
19.	कोलार	9
20.	कोप्पल	2
21.	मंड्या	12
22.	मैसूरु (मैसूर)	51
23.	रायचूर	19
24.	रामनगर	8
25.	शिवमोग्गा (शिमोगा)	13
26.	तुमकुरु (तुमकुर)	25
27.	उडुपी	9
28.	उत्तर कन्नड़	4
29.	विजयनगर	10
30.	विजयपुरा	16
31.	यादगीर	3
कुल		516

नोट: अभी तक, कर्नाटक सरकार ने पीएमएवाई-यू 2.0 के बीएलसी, एएचपी और एआरएच घटकों के तहत किसी भी आवास का प्रस्ताव नहीं दिया है। सभी 516 लाभार्थी पीएमएवाई-यू 2.0 के आईएसएस घटक के तहत हैं